



प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

थाना – देवगांव, जनपद आजमगढ़

- ➡ □ प्रतिबंधित पशुओं की चोरी, वाहन चोरी एवं गौकशी करने वाले अन्तर्जनपदीय 02 अपराधी हारून उर्फ नाटे उर्फ करिया व मो० आजिम पुलिस मुठभेड़ में घायल होकर गिरफ्तार।
- ➡ □ थाना देवगांव व गम्भीरपुर की संयुक्त पुलिस टीम ने की कार्यवाही।
- ➡ □ थाना देवगांव क्षेत्रान्तर्गत कैथीशंकरपुर पुलिया के पास कच्ची सड़क के पास हुई पुलिस मुठभेड़।
- ➡ □ अन्तर्जनपदीय दोनो अपराधी पिकअप वाहन से बसही से लालगंज की तरफ जा रहे थे।
- ➡ □ दोनो बदमाशों के दोनो पैरों में लगी गोली।
- ➡ □ घायल अपराधियों की पहचान 1. हारून उर्फ नाटे उर्फ करिया पुत्र मुख्तार निवासी मुहम्मदपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 32 वर्ष 2. मो० आजिम पुत्र अयाज उर्फ मुन्ना निवासी कस्बा देवगांव थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष के रूप में हुई।
- ➡ □ घायल अभियुक्तों के कब्जे से 02 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 01 अदद जिन्दा व 01 अदद मिस कारतूस 315 बोर व 01 पिकअप वाहन बरामद किया गया।
- ➡ □ घायल दोनो बदमाशों के ऊपर जनपद आजमगढ़, जौनपुर, रायबरेली व अन्य जनपदों में पशु चोरी, वाहन चोरी एवं गौकशी के 50 से अधिक मुकदमें दर्ज हैं।

पुलिस मुठभेड़ का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री मधुवन कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री भूपेश पाण्डेय के पर्यवेक्षण में दिनांक 09/10.01.2026 की रात्रि लगभग 01.40 बजे थाना देवगांव व गम्भीरपुर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी।

चेकिंग के दौरान कैथीशंकरपुर पुलिया के पास कच्ची सड़क पर बसही से लालगंज की ओर आ रहे एक संदिग्ध पिकअप वाहन को रोकने का इशारा किया गया। वाहन पर सवार बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया गया।

पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में 02 बदमाशों के दोनों पैरों में गोली लगी। घायल बदमाशों को तत्काल उपचार हेतु सदर अस्पताल आजमगढ़ भेजा गया है।

अपराध का तरीका (Modus Operandi)

- घायल अभियुक्त अपने अन्य साथियों के साथ संगठित गिरोह के रूप में पशु चोरी, वाहन चोरी एवं गौकशी जैसी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते थे।
- अभियुक्त दिन के समय ग्रामीण एवं अर्द्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय रहकर पशुओं की रेकी (निगरानी) करते थे तथा उपयुक्त अवसर मिलने पर रात्रि में चोरी किए गए पिकअप वाहनों का प्रयोग कर पशुओं की चोरी करते थे।
- दिनांक 24.12.2025 को अभियुक्तों द्वारा थाना गम्भीरपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम थनौली से 01 पिकअप वाहन की चोरी की गई थी, जिसका प्रयोग पशु चोरी में किया जाना था।
- चोरी किए गए पशुओं को अभियुक्त एकान्त/निर्जन स्थानों पर ले जाकर अवैध रूप से वध करते थे तथा उनके मांस को बेचने की योजना बनाते थे।
- पुलिस की चेकिंग अथवा गिरफ्तारी से बचने हेतु अभियुक्त अपने पास अवैध असलहा रखते थे।
- पकड़े जाने की स्थिति में अभियुक्त पुलिस बल पर फायरिंग कर भय उत्पन्न करते हुए मौके से फरार होने का प्रयास करते थे।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0 491/25 धारा 303(2) BNS व मु0अ0स0 08/26 धारा 325 BNS व 11 पशु क्रूरता अधिनियम
थाना देवगांव आजमगढ़

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त-

1. हारून उर्फ नाटे उर्फ करिया पुत्र मुख्तार निवासी मुहम्मदपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 32 वर्ष
2. मो0 आजिम पुत्र अयाज उर्फ मुन्ना निवासी कस्बा देवगांव थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1. हारून उर्फ नाटे उर्फ करिया पुत्र मुख्तार उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1 | मु0अ0सं0-187/2022 | 307/336/411/413/414 बीएनएस | गम्भीरपुर | आजमगढ़
- 2 | मु0अ0सं0-148/2021 | 307/411/413/414/420/467/468/471 बीएनएस | गम्भीरपुर | आजमगढ़
- 3 | मु0अ0सं0-515/2024 | 303(2)/317(2) बीएनएस | निजामाबाद | आजमगढ़
- 4 | मु0अ0सं0-428/2024 | 303(2)/317(2) बीएनएस | महाराजगंज | आजमगढ़
- 5 | मु0अ0सं0-487/2024 | 303(2)/317(2) बीएनएस | जीयनपुर | आजमगढ़
- 6 | मु0अ0सं0-538/2024 | 303(2)/317(2) बीएनएस | फूलपुर | आजमगढ़
- 7 | मु0अ0सं0-299/2022 | 379 भादवि | अहरौला | आजमगढ़
- 8 | मु0अ0सं0-423/2024 | 303(2)/317(2) बीएनएस | सिधारी | आजमगढ़
- 9 | मु0अ0सं0-339/2024 | 303(2)/317(2) बीएनएस | अतरौलिया | आजमगढ़
- 10 | मु0अ0सं0-462/2022 | 380/411/457 भादवि | निजामाबाद | आजमगढ़
- 11 | मु0अ0सं0-269/2022 | 457/380 भादवि | निजामाबाद | आजमगढ़
- 12 | मु0अ0सं0-497/2022 | 307 भादवि व 25 आर्म्स एक्ट | देवगाँव | आजमगढ़
- 13 | मु0अ0सं0-286/2024 | 305/317(2) बीएनएस | रानी की सराय | आजमगढ़
- 14 | मु0अ0सं0-494/2022 | 379/411 भादवि | देवगाँव | आजमगढ़
- 15 | मु0अ0सं0-59/2024 | 379/411 भादवि | कन्धरापुर | आजमगढ़

- 16 | मु0अ0सं0-321/2024 | 303(2)/317(2) बीएनएस | कप्तानगंज | आजमगढ़
- 17 | मु0अ0सं0-340/2024 | 303(2)/317(2) बीएनएस | अतरौलिया | आजमगढ़
- 18 | मु0अ0सं0-274/2024 | 303(2)/317(2) बीएनएस | कप्तानगंज | आजमगढ़
- 19 | मु0अ0सं0-222/2024 | 303(2)/317(2) बीएनएस | तहबरपुर | आजमगढ़
- 20 | मु0अ0सं0-91/2024 | 379/411 भादवि | कन्धरापुर | आजमगढ़
- 21 | मु0अ0सं0-336/2024 | 303(2)/317(2)/318(4)/319(2)/336(3)/338 बीएनएस | गम्भीरपुर | आजमगढ़
- 22 | मु0अ0सं0-14/2024 | 379/411 भादवि | कन्धरापुर | आजमगढ़
- 23 | मु0अ0सं0-487/2022 | 379/411/413/473 भादवि | देवगाँव | आजमगढ़
- 24 | मु0अ0सं0-140/2017 | 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम | गम्भीरपुर | आजमगढ़
- 25 | मु0अ0सं0-206/2018 | 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट | गम्भीरपुर | आजमगढ़
- 26 | मु0अ0सं0-395/2024 | 305/317(2) बीएनएस | गम्भीरपुर | आजमगढ़
- 27 | मु0अ0सं0-394/2022 | 379/411 भादवि | बरदह | आजमगढ़
- 28 | मु0अ0सं0-493/2022 | 379/380/411/413/457/473 भादवि | देवगाँव | आजमगढ़
- 29 | मु0अ0सं0-387/2024 | 305/317(2)/317(4)/331(4) बीएनएस | देवगाँव | आजमगढ़
- 30 | मु0अ0सं0-373/2024 | 303(2)/317(2)/317(4) बीएनएस व 111 साक्ष्य अधिनियम | बिलरियागंज | आजमगढ़
- 31 | मु0अ0सं0-395/2024 | 111/303(2)/317(2)/317(4) बीएनएस | जहानागंज | आजमगढ़
- 32 | मु0अ0सं0-605/2024 | 112(2)/303(2)/317(2)/317(4)/317(5) बीएनएस | कोतवाली | आजमगढ़
- 33 | मु0अ0सं0-291/2024 | 303(2)/317(2) बीएनएस | देवगाँव | आजमगढ़
- 34 | मु0अ0सं0-428/2024 | 111/305/317(2)/317(4) बीएनएस | जहानागंज | आजमगढ़
- 35 | मु0अ0सं0-338/2024 | 303(2)/317(2) बीएनएस | देवगाँव | आजमगढ़
- 36 | मु0अ0सं0-460/2022 | 379/411/473 भादवि | देवगाँव | आजमगढ़
- 37 | मु0अ0सं0-332/2024 | 303(2)/317(2) बीएनएस | अतरौलिया | आजमगढ़
- 38 | मु0अ0सं0-321/2020 | 401 भादवि | केराकत | जौनपुर
- 39 | मु0अ0सं0-322/2020 | 379/411/413/414/482/41 भादवि | केराकत | जौनपुर
- 40 | मु0अ0सं0-379/2024 | 115(2)/117(2)/118(1)/303(2)/333 बीएनएस | केराकत | जौनपुर
- 41 | मु0अ0सं0-69/2022 | 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट | केराकत | जौनपुर
- 42 | मु0अ0सं0-318/2020 | 379/411 भादवि | केराकत | जौनपुर
- 43 | मु0अ0सं0-145/2021 | 411/413/414 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट | गम्भीरपुर | आजमगढ़
- 44 | मु0अ0सं0-530/2024 | 303(2)/317(2) बीएनएस | फूलपुर | आजमगढ़
- 45 | मु0अ0सं0-364/2024 | 303(2) बीएनएस | केराकत | जौनपुर
- 46 | मु0अ0सं0-368/2021 | 379/411 भादवि | बछरावां | रायबरेली
- 47 | मु0अ0सं0-603/2024 | 112(2)/303(2)/317(2)/317(4)/317(5) बीएनएस | कोतवाली | आजमगढ़
- 48 | मु0अ0सं0-541/2024 | 303(2)/317(2) बीएनएस | फूलपुर | कोतवाली आजमगढ़
49. मु0अ0सं0-380/2025 | 303(2) बीएनएस गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ ।

50. मु0अ0स0 491/25 धारा 303(2) BNS व मु0अ0स0 08/26 धारा 325 BNS व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना देवगांव आजमगढ़

2. मो0 आजिम पुत्र अयाज उर्फ मुन्ना उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 84/2021, , धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना देवगांव
2. मु0अ0सं0 138/2021, धारा 380/411 भादवि थाना मेहनाजपुर,
3. मु0अ0सं0 140/2021, धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना मेहनाजपुर,
4. मु0अ0सं0 286/2022, धारा 457/380/411/413 भादवि थाना देवगांव,
5. मु0अ0सं0 487/2022, धारा 379/411/413/473 भादवि थाना देवगांव
6. मु0अ0सं0- 0 धारा 457/380/411/413 भादवि थाना देवगांव
7. मु0अ0सं0 493/2022, , धारा 379/380/411/413/457/473 भादवि भादवि थाना देवगांव
8. मु0अ0सं0 494/2022, धारा 379/411 भादवि थाना देवगांव,
9. मु0अ0सं0 169/2023, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना देवगांव,
10. मु0अ0स0 491/25 धारा 303(2) BNS व मु0अ0स0 08/26 धारा 325 BNS व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना देवगांव आजमगढ़

बरामदगी-

- 02 अदद देशी तमंचा 315 बोर
- 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर
- 01 अदद जिन्दा
- 01 अदद मिस कारतूस 315 बोर
- 01 पिकअप वाहन

पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक विमल प्रकाश राय , उ0नि0 अभिषेक मिश्रा, का0 अनिल यादव, उ0नि0 सुभाष तिवारी , का0 कमल कुमार चौरसिया, का0 अजय कुमार पाल, उ0नि0 राजेश कुमार सिंह, हे0का0 वेद प्रकाश सिंह थाना देवगांव, जनपद आमजगढ़ ।
2. थानाध्यक्ष गम्भीर अखिलेश सिंह, व0उ0नि0 अरविन्द कुमार यादव, उ0नि0 योगेश कुमार सरोज, उ0नि0 विपिन कुमार द्विवेदी, का0 अमित सरोज, का0 अनिल वर्मा, थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ।

